

**दिनांक 24 दिसंबर, 2020 को आयोजित एनसीवीईटी की राष्ट्रीय कौशल अहता समिति
(एनएसक्यूसी) की चौथी बैठक का कार्यवृत्त**

1. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) के तहत राष्ट्रीय कौशल अहता समिति (एनएसक्यूसी) की चौथी बैठक श्री प्रवीण कुमार, अध्यक्ष एनसीवीईटी और सचिव, एमएसडीई की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से दिनांक 24 दिसंबर, 2020 को आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-1 पर है।
2. बैठक में लिए गए निर्णय निम्नलिखित हैं:

कार्यसूची मद सं.1: एनएसक्यूसी की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

3. समिति ने दिनांक 20 नवंबर, 2020 को आयोजित एनएसक्यूसी की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया। अध्यक्ष ने यह सुझाव दिया कि जारी किए गए एनएसक्यूसी कार्यवृत्त पर किसी आपत्ति के लिए अगली एनएसक्यूसी बैठक के लिए प्रतीक्षा करने के बजाए परिषद को पहले अवसर पर ही एक मेल भेजा जाए ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके और संशोधन तत्काल प्रभाव से किया जा सके।

कार्यसूची मद सं.2: एनएसक्यूसी की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट

4. एनएसक्यूसी को तीसरी एनएसक्यूसी बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही का विवरण दिया गया था। अनुपालन के संबंध में सशर्त अनुमोदित फाइलों की स्थिति अनुबंध-1 पर है।
5. नीचे उल्लिखित 'की गई कार्रवाई रिपोर्ट' का पैरा-वार विवरण और उन पर लिए गए निर्णय निम्नलिखित हैं:

(क) **क्र.सं. 1.2 (ग): इनस्ट्रूमेंटेशन एसएससी:** चूंकि चार फाइलों में से 2 फाइलों पर लाइन मंत्रालय की सहमति प्राप्त हो गई है, अतः उस पर राष्ट्रीय अहता रजिस्टर (एनक्यूआर) में अपलोड करने की कार्यवाही की जाए।

(ख) **क्र.सं. 1.2(च): पीडब्ल्यूडी के लिए एनक्यूआर पर पृथक खंड का निर्माण:** समिति को अवगत कराया गया था कि पीडब्ल्यूडी के संबंध में एक पृथक क्षेत्र एनक्यूआर

वेबसाइट पर बना दिया गया है और पीडब्ल्यूडी सेक्टर के तहत अनुमोदित अर्हता अपलोड कर दी गई है।

(ग) क्रम सं. 4 अतिरिक्त कार्यसूची (1): स्वास्थ्य देखभाल एसएससी की 6 संशोधित फाइलों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से टिप्पणियां: एनएसक्यूसी को अवगत कराया गया था कि 6 संशोधित अर्हताओं के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं और सुझाई गई अर्हताओं में 14 संशोधन थे, जिन्हें स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र कौशल परिषद को अनुमोदन के विचारार्थ एनएसक्यूसी को प्रस्तुत करने से पूर्व अर्हताओं में शामिल करने की आवश्यकता है। एनएसक्यूसी ने इस मामले को नोट किया और इसे पूर्ण रूप से शामिल किए जाने के लिए संबंधित सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ साझा करने तथा अनुमोदन के लिए अगली एनएसक्यूसी में फाइलें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(घ) क्र.सं. 4 अतिरिक्त कार्यसूची (2): डीजीटी की 14 (सिद्धांत रूप में अनुमोदित) अर्हता फाइलें: कर्नल संतोष, निदेशक एनसीवीईटी ने समिति को सूचित किया कि डेस्क लेखा परीक्षा हितधारक परामर्श और 14 अर्हता फाइलों की जांच पूरी कर ली गई है और अनुमोदन प्रदान करने के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

कार्यसूची मद सं.3: एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए अर्हताएं प्रस्तुत करना

6. निदेशक ने समिति को सूचित किया कि दिनांक 1 अक्तूबर, 2020 से दिनांक 31 अक्तूबर, 2020 तक कुल 11 अर्हताएं (7 नई और 4 संशोधित) प्राप्त हो गई हैं। वे डेस्क जांच और हितधारक परामर्श के अध्यधीन रखी गई हैं और चौथी एनएसक्यूसी में विचार के लिए प्रस्तुत की जा रही हैं। एनएसक्यूएफ के अनुरूप होने के लिए विचार की जा रही सभी अर्हताओं का एक संक्षिप्त विवरण समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
7. एनएसक्यूसी की चौथी बैठक में विचार की गई अर्हताओं के अनुमोदन की स्थिति का एक समेकित विवरण अनुबंध-॥। (क) पर रखा है और अर्हता-वार स्तर अनुबंध-॥। (ख) पर है। क्षेत्र-वार/प्रस्तुत करने वाले निकाय-वार विचार-विमर्श और लिए गए निर्णय बाद के पैराओं में दिए गए हैं।

केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत अहताएं

8. **फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एफडीडीआई):** दूसरे संशोधन के लिए एफडीडीआई द्वारा प्रस्तुत लैंडर सेक्टर में 4 (चार) अहताएं एनएसक्यूसी के अनुमोदन के लिए रखी गई थीं और उन्हें बिना किसी परिवर्तन के अनुमोदित कर दिया गया था।

क्षेत्रीय कौशल परिषदों (एसएससी) द्वारा प्रस्तुत अहताएं

9. **हाइड्रोकार्बन एसएससी:** 'स्टेनलेस स्टील(एसएस) ट्र्युबिंग टेक्नीशियन' की एक (1) अहता फाइल एनएसक्यूसी के समक्ष रखी गई थी। एसएससी द्वारा औद्योगिक वैधताओं की कम संख्या प्रस्तुत किए जाने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया था। समिति ने हाइड्रोकार्बन एसएससी द्वारा दिए गए औचित्य को स्वीकार किया। समिति का यह मत था कि प्रवेश आवश्यकता कार्य के स्वरूप की खतरनाक प्रकृति के कारण संशोधित की जानी चाहिए और अहता के लिए सुझाई गई न्यूनतम प्रवेश आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। यह फाइल सुझाए गए परिवर्तनों को शामिल किए जाने के अध्यधीन सशर्त अनुमोदित की गई थी।

10. **पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार एसएससी:** पांच (5) संशोधित और एक (1) नई अहता फाइल अनुमोदन प्रदान किए जाने के लिए एनएसक्यूसी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। प्रत्येक अहता में सभी मानदंडों के संबंध में उचित विचार-विमर्श के बाद समिति ने प्रस्तुत करने वाले निकाय द्वारा नीचे उल्लिखित किए गए अनुसार संशोधनों के अध्यधीन अहताएं सशर्त अनुमोदित कीं:

(क) **रेस्तरा मैनेजर:** नीचे उल्लेख किए गए अनुसार क्षेत्र में क्षेत्र का अनुभव 'रेस्तरा मैनेजर' की अहता की प्रवेश आवश्यकता में जोड़ा जाना चाहिए।

(i) 12वीं कक्षा के बाद तीन वर्ष का अनुभव/10वीं कक्षा के बाद 2 वर्षीय आईटीआई।

(ii) 10वीं कक्षा के बाद दस वर्ष/आठवीं कक्षा के बाद 2 वर्षीय आईटीआई।

(ख) समिति ने यह भी सुझाव दिया कि यह लेवल एनएसक्यूएफ लेवल डिस्क्रिप्टरों और अपेक्षित कौशल सैट के आधार पर लेवल 8 के बजाए लेवल 7 में रखा जाना चाहिए।

(ग) समिति ने यह भी निर्देश दिया कि 10वीं अथवा 12वीं अथवा समतुल्य आईटीआई (क्रमशः 8वीं और 10वीं के बाद आईटीआई का 2 वर्ष) की प्रवेश आवश्यकता के अलावा सभी छह (6) अर्हता फाइलों में निम्नलिखित परिवर्तन एक वर्षीय आईटीआई पाठ्यक्रम तथा पात्र प्रवेश अपेक्षा बनाते हुए जोड़े जाने चाहिए:-

- (i) 8वीं के बाद जहां पात्रता कक्षा 10 है, आईटीआई* (एक वर्ष की अवधि के साथ आईटीआई के लिए) के साथ संगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।
- (ii) 10वीं के बाद जहां पात्रता कक्षा 12 है, आईटीआई* (एक वर्ष के अनुभव के साथ आईटीआई के लिए) के साथ संगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

फाइलों का ब्यौरा अनुबंध-III(ख) पर है।

कार्यसूची सं.4: डीजीटी की अर्हता फाइलें

11. डीजीटी की चौदह (14) अर्हता फाइलें, जिन पर दिनांक 20 नवंबर, 2020 को आयोजित एनएसक्यूसी की तीसरी बैठक में सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया था, विधिवत् परीक्षित एवं विवीक्षित रूप में समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। अर्हता-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(क) सीटीएस की तीन (3) अर्हता फाइलें: आईटी-आईटीईएस की एक (1) अर्हता फाइल और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की दो (2) अर्हताएं एनएसक्यूसी के अनुमोदन के लिए रखी गई थीं और उन्हें बिना किसी परिवर्तन के अनुमोदित कर दिया गया था।

(ख) सीआईटीएस की चार (4) अर्हता फाइलें: सीआईटीएस (डीजीटी की क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम) के तहत मीडियां एंड एंटरटेनमेंट, अपैरल, पैंट एंड टेक्नोलॉजी और आईटी-आईटीईएस से प्रत्येक से एक (1) अर्हता एनएसक्यूसी के समक्ष प्रस्तुत की गई थीं। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

- (i) अपैरल सेक्टर की 'कम्प्युटर एडेट एम्ब्राइडरी एंड डिजाइनिंग', आईटी-आईटीईएस की 'सूचना प्रौद्योगिकी', मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर की 'मल्टीमीडिया, एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट' अनुमोदित की गई थी।
- (ii) इसी क्षेत्र की 'पैटिंग टेक्नोलॉजी' अहंता हितधारकों द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को शामिल करने और संशोधित फाइल प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन सशर्त अनुमोदित की गई थी।
- (ग) एसटीसी की सात (7) अहंता फाइलें: एसटीसी के तहत मीडिया और एंटरटेनमेंट की एक (1) अहंता फाइल कार्य-नीति प्रबंधन की दो (2) अहंताएं, ब्यूटी एंड वेलनेस की तीन (3) अहंताएं और कार्यालय प्रशासन तथा सुविधा प्रबंधन क्षेत्र की एक (1) की अहंता फाइल अनुमोदन प्रदान किए जाने के लिए एनएसक्यूसी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इसका विवरण निम्नानुसार वर्णित है:-
- (i) मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर: 2डी एनिमेटर के संबंध में अहंता फाइल अनुमोदित नहीं की गई थी। समिति ने उसमें संशोधन करने और अगली एनएसक्यूसी में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने का सुझाव दिया।
- (ii) कार्यनीतिक प्रबंधन क्षेत्र: 'सीएनसी मशीनिस्ट 3-एक्सिस' और 'एडवांस्ड सीएनसी मशीनिस्ट 5-एक्सिस' के संबंध में अहंता फाइलों का अनुमोदन किया गया था।
- (iii) ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर: 'प्रोफेशनल मेक-अप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट', 'सीनियर नेल टैक्निशियन' और 'सीनियर स्पा थेरेपिस्ट' के संबंध में अहंता फाइलों पर सभी तीन (3) फाइलों में प्रगामी पथ के संशोधन के अध्यधीन सशर्त अनुमोदन प्रदान किया गया था। 'सीनियर स्पा थेरेपिस्ट' के संबंध में अहंता फाइल को 'स्पोर्ट्स मैसियर' के व्यवसाय को हटाने के अध्यधीन सशर्त अनुमोदन प्रदान किया गया था, जिसके लिए खेल मंत्रालय की टिप्पणियां लेने के बाद डीजीटी अलग से वापस आ सकते हैं। डीजीटी से अनुरोध किया गया था कि वे 'सीनियर मेल टैक्निशियन' और अन्य अवार्ड करने वाले निकायों द्वारा संचालित

समान पाठ्यक्रमों की अर्हता फाइल की प्रवेश अपेक्षाओं की समीक्षा करें और संशोधन करें तथा एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए उसे पुनः प्रस्तुत करें।

(iv) **प्रशासन एवं सुविधा प्रबंधन क्षेत्रः** 'मानव संसाधन कार्यकारी' के संबंध में प्रगामी पथ में संशोधन पर पुनः विचार किए जाने के अध्यधीन सशर्त अनुमोदन प्रदान किया गया था।

इन फाइलों का ब्यौरा अनुबंध-॥॥ (ग) पर है।

अतिरिक्त कार्यसूची

12. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी) द्वारा अपनाई गई अर्हताओं का अनुमोदन

समिति को सूचित किया गया था कि एससीपीडब्ल्यूडी एक क्षैतिज एसएससी होने के नाते विभिन्न क्षेत्रों से एनएसक्यूएफ के अनुरूप कार्य-भूमिकाओं की पहचान करता है और जांच के बाद अपंगताओं के प्रकार के संदर्भ में उनकी उपयुक्तता की पहचान करता है, और पीडब्ल्यूडी प्रशिक्षण के लिए अर्हताएं तैयार करने हेतु उन्हें अपनाता है। इस संबंध में एससीपीडब्ल्यूडी ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, अपैरल, मेक-अप और होम फर्निशिंग, आईटी-आईटीईएस, रिटेल, टेलीकॉम और टूरिज्म तथा हास्पिटेलिटी जैसे क्षेत्रों से 25 कार्य-भूमिकाओं को अपनाया है और नेशनल घंटों में वृद्धि कर तथा प्रशिक्षण पद्धति में परिवर्तन कर 55 अर्हता फाइलें प्रस्तुत की हैं। एनएसक्यूसी ने इस मामले को नोट किया है और सभी अर्हताओं का अनुमोदन किया है (सूची अनुबंध-॥॥ (घ) पर रखी गई है।

13. एएसडीसी(ऑटोमोटिव एसएससी) से शिक्षुता अर्हता का अनुमोदन

एनएपीएस (नेशनल शिक्षुता प्रोमोशन स्कीम) संचालित की जाने वाली 'व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग आपरेशंस' नामक अर्हता अनुमोदन के लिए एनएसक्यूसी की तीसरी बैठक में एएसडीसी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। समिति द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि वे लिंग और अपंग को शामिल किए जाने के कार्य के लिए तथा एनएपीएस के तहत शिक्षुता कार्यक्रम के रूप में संचालित किए जाने हेतु उपयुक्तता के लिए अर्हता की उपयुक्ता की जांच के लिए पीडब्ल्यूडी एसएससी और डीजीटी को फाइल भेजें। विधिवत जांच की गई और संशोधित की गई अर्हता चौथी एनएसक्यूसी

में पुनः प्रस्तुत की गई थी। संशोधित फाइल एनएसक्यूसी के अनुमोदन के लिए रखी गई थी और उसे अनुमोदित कर दिया गया था (फाइलों का ब्यौरा अनुबंध-III (ड.) पर है।

14. डब्ल्यूबीएससीटी और वीई एंड एसडी द्वारा एनएसक्यूएफ के अनुरूप अर्हताओं को अपनाना

एनएसक्यूसी ने उल्लेख किया कि वह ऐसा निकाय नहीं है जो अवार्ड करने वाले निकायों द्वारा अर्हताओं को अपनाए जाने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार रखता हो और इसे एनसीवीईटी के तहत उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष लाया जाना चाहिए।

15. कोई अन्य मद

- (i) बैठक में पुनः यह भी उल्लेख किया गया कि एसएससी के सामने उनके संबंधित लाइन मंत्रालयों से मंजूरी प्राप्त करने के संबंध में समस्याएं आ रही हैं। उनके उत्तर या तो अनुचित रूप से विलंब से दिए जाते हैं या प्रायः कोई उत्तर नहीं दिया गया होता है। अध्यक्ष द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया था और इस संबंध में नीति के संबंध में पिछली एनएसक्यूसी बैठक में कार्यवृत्त में रख दिया था। उस बैठक में एनएसक्यूसी का यह विचार था कि स्वास्थ्य अथवा विमानन जैसे विनियमित क्षेत्रों के मामले में लाइन मंत्रालय की सहमति अनिवार्य मानदंड रहेगा। अन्य सभी मामलों में लाइन मंत्रालयों को उनकी सहमति दर्शाने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाएगा जब तक कि लाइन मंत्रालयों द्वारा अन्यथा सूचित न किया जाए। ऐसे मामलों में एनएसक्यूसी के मामले के तथ्यों के अनुसार निर्णय लेगा। तथापि, यदि लाइन मंत्रालय निर्णय लिए जाने के बाद अपनी टिप्पणियां भेजता है और टिप्पणियां प्रतिकूल हैं तो उसे विचार-विमर्श के लिए अगली एनएसक्यूसी बैठक के समक्ष लाया जाए।
- (ii) अध्यक्ष ने यह भी निर्देश दिया कि आगे से विचार-विमर्श को और अधिक अनुकूल और परिणामी बनाने के लिए अगली एनएसक्यूसी से संबंधित लाइन मंत्रालय को आमंत्रण भेजा जाए। अध्यक्ष ने यह भी निर्देश दिया कि एनएसक्यूसी

के कार्यवृत्त का संगत उद्धरण बेहतर स्पष्टता और कार्यवाही के लिए लाइन मंत्रालय के साथ साझा किया जाए।

(iii) अध्यक्ष ने अगली एनएसक्यूसी बैठक से प्रस्तुति में प्रवेश अपेक्षा के भाग के रूप में 'अनुभव' शामिल किए जाने का अनुदेश भी दिया।

(iv) अध्यक्ष एआईसीटीई ने निम्नलिखित सुझाव दिए:

क) उन्होंने सुझाव दिया कि डीजीटी अनुदेशकों के लिए भारतीय नियमों की जांच करें ताकि सीआईटीएस प्रमाण पत्र के स्थान पर संबंधित क्षेत्र में डिग्री वाले अभ्यर्थी भी पात्र हो सकें। डीजीटी इसकी समीक्षा करने के लिए सहमत हुए।

ख) उन्होंने डी.वीओसी/बी.वीओसी/एम.वीओसी कार्यक्रमों की सराहना की और प्रस्ताव किया कि इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलीटेक्नीक्स में संकाय पदों की भर्ती नियमावली में पात्रता मानदंडों के रूप में एआईसीटीई को अनुमति देने के संबंध में विचार करने हेतु एक पत्र भेजा जाए। अध्यक्ष, एनएसवीईटी ने इस सुझाव का स्वागत किया और निर्देश दिया कि इस संदर्भ में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) से एआईसीटीई को एक पत्र लिखा जाए।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद जापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

Annexure to MoM of 4th NSQC dated 24th Dec., 2020

ANNEXURE I: List of Participants

National Skills Qualifications Committee (NSQC) Members

1. Shri Praveen Kumar, Chairman, NCVET & Secretary, MSDE
2. Mr. Anil Sahasrabudhe, Chairman, AICTE
3. Ms. Neelam Shami Rao, Director General, DGT, MSDE
4. Dr. Biswajit Saha, Director-Vocational, CBSE
5. Mr. Srinivas, Andhra Pradesh State Skill Development Corporation
6. Mr. Srikanth, Andhra Pradesh State Skill Development Corporation
7. Mr. Subu Tabin, Director, SDE, Govt. of Arunachal Pradesh
8. Mr. Anand Sherkhane, ADC, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise
9. Dr. Manju Singh, Joint Secretary, UGC
10. Mr. P.P. Gupta, Deputy Secretary, School Education and Literacy
11. Representative, NITI Aayog
12. Dr. Sabeena Mathayas, NSDC
13. Ms. Nidhi, MoRD
14. Dr. Vipin Khurana, SVSU
15. Ms. Chanchal Bhardwaj, SVSU

Sectoral Representatives/Submitting Bodies

1. Ms. Garima Jhamb, ASDC
2. Ms. Meenu, ASDC
3. Mr. Arindam Lahiri, CEO, ASDC
4. Mr. Murthy, CSTARI, Kolkata
5. Mr. Harshit Mishra
6. Mr. Saurabh Kumar Dubey
7. Mr. Dilip Chenoy
8. Ms. Gauri Kalra, Sr. Consultant, MHRD
9. Mr. Vishal Sharma, Hydrocarbon SSC
10. Dr. Sunita Badhwar, Tourism SSC
11. Mr. Manoj Agarwal, FDDI
12. Ms. Radhika
13. Mr. Rajan Bahadur, CEO, Tourism and Hospitality SSC
14. Mr. Ravindra Singh, SCPwD
15. Mr. S.S. Rana, COO-HSSC
16. Representative from SPMU, PBSSD
17. Ms. Priyanka, THSC
18. Mr. Somyadip Ghatak
19. Dr. Niharika Nigam
20. Representative from HRH Cell, MoHFW
21. Mr. G. Giri, Joint Director, DGT

22. Mr.N.RameshBabu

NCVET Officials

1. Col. Santosh Kumar, Director, NCVET
2. Lt. Col. Gunjan Chowdhary, Director, NCVET
3. Mr.Sushil Agarwal, Director, NCVET
4. Mr.Sarika Dixit, Consultant, NCVET
5. Ms. Tanavi Singh, Consultant, NCVET
6. Mr.Lav Bhardwaj, Consultant, NCVET
7. Mr.Sourabh Kulpuria, Consultant, NCVET
8. Ms.Shubhi Mathur, Consultant, NCVET
9. Mr.Anuj Gupta, Consultant, NCVET
10. Mr.Anupam Maity, Consultant, NCVET
11. Mr.Shuvadeep Ray, Consultant, NCVET
12. Mr.Sumit Kumar, Consultant, NCVET

In attendance

1. Ms. Sunita Sanghi, Consulting Advisor, NCVET



MOM_4th NSQC_24th Dec., 20



Page 6 of 11

ANNEXURE – II

Status of Conditionally Approved Files from 3rd NSQC

S.No	Submitting Body	Name of the Qualification/ Job Role	Compliance Status
i.	DGT	14 files	Nine (9) files Compliance completed and files ratified, One (1) file not approved Compliance pending for 4 files.
ii.	Indian Navy, MoD	BELL Diver	Compliance Completed and file uploaded
iii.	Indian Navy, MoD	Surface Supplied Air Diver	
iv.	Automotive SSC	Automotive CNC machining technician	Compliance Completed and file uploaded
v.	Instrumentation SSC	Calibration Technician (Electro-Technical)	Compliance Completed
vi.	Instrumentation SSC	Calibration Technician (Mechanical Dimension)	Compliance Completed
vii.	Instrumentation SSC	DCS Programmer and Trouble Shooter	Compliance Pending
viii.	Instrumentation SSC	HMI / SCADA Programmer and Trouble Shooter	Compliance Pending

ANNEXURE – III (A): Consolidated Statement of Approval Status of QFs in the 4th NSQC

CENTRAL MINISTRIES					
S. No	Name of the Submitting Body	New Files	Revised Files	Files for NSQC consideration	Approval Status
1	FDDI, MoC		4	4	4 Approved
	Sub-Total		4	4	
Sector Skill Councils					
S. No	Name of the Submitting Body	New Files	Revised Files	Files for NSQC consideration	Approval Status
1	Hydrocarbon SSC	1	-	1	1 Conditionally Approved
2	Tourism and Hospitality SSC	6	-	6	6 Conditionally Approved
	Sub-Total	7	-	7	
SSC Qualifications adopted by SCPwD					
S. No	Name of the Submitting Body	New Files	Revised Files	Files for NSQC consideration	Approval Status
1	SCPwD	55	-	55	55 Approved
Qualifications under NAPS					
S. No	Name of the Submitting Body	New Files	Revised Files	Files for NSQC consideration	Approval Status
1	Automotive SSC-NAPS	1	-	1	1 Approved
	Grand Total	63	4	67	60 Approved 01 Conditionally approved

ANNEXURE – III (B): Status of Qualification Files placed for Approval in 4th NSQC

CENTRAL MINISTRIES

I. Submitting Body: FDDI, DIPP, MoC (4 Revised Files), Sector: Leather

S.No.	Qualification Name	Proposed NSQF Level	Approval Status
i.	Basic Closing Operator – Footwear	2	Approved
ii.	Basic Cutting Operator – Footwear	2	Approved
iii.	Basic Closing Operator - Goods & Garments	2	Approved
iv.	Basic Cutting Operator - Goods & Garments	2	Approved

SECTOR SKILL COUNCILS

I. Submitting Body: Hydrocarbon SSC (1 New QF), Sector: Hydrocarbon

S. No	Qualification Name	Proposed NSQF level	Status of Approval
i.	SS (Stainless Steel) Tubing Technician	4	Conditionally Approved

II. Submitting Body: Tourism & Hospitality SSC (5 Revised QFs And 1 New QF), Sector: Tourism & Hospitality

S.No	Qualification Name	Proposed NSQF Level	Status of Approval
i.	Restaurant Manager	8	Conditionally Approved
ii.	Housekeeping Trainee	3	Conditionally Approved
iii.	Pantry Associate	3	Conditionally Approved
iv.	Multi-Purpose Associate	4	Conditionally Approved
v.	Pastry/Bakery Commis	4	Conditionally Approved
vi.	Nature Guide	4	Conditionally Approved

ANNEXURE – III(C): ADDITIONAL AGENDA QUALIFICATION FILES (14 DGT Files)

STC, SECTOR: MEDIA & ENTERTAINMENT

S.No.	Qualification Name	Proposed NSQF Level	Status of Approval
i.	2D Animator	4	Not Approved

CITS, SECTOR: MEDIA & ENTERTAINMENT

S.No.	Qualification Name	Proposed NSQF Level	Status of Approval
ii.	Multimedia, Animation & Special Effects	6	Approved

STC, SECTOR: STRATEGIC MANUFACTURING

S.No.	Qualification Name	Proposed NSQF Level	Status of Approval
iii.	CNC Machinist 3-Axis	5	Approved
iv.	Advanced CNC Machinist 5-Axis	5	Approved

CITS, SECTOR: Apparel

S.No.	Qualification Name	Proposed NSQF Level	Status of Approval
v.	Computer Aided Embroidery & Designing	6	Approved

CTS, SECTOR: Logistics

S.No.	Qualification Name	Proposed NSQF Level	Status of Approval
vi.	In Plant Logistics Assistant	4	Approved
vii.	Warehouse Technician	4	Approved

CITS, SECTOR: PAINT & TECHNOLOGY

S.No.	Qualification Name	Proposed NSQF Level	Status of Approval
viii.	Painting Technology	6	Conditionally Approved

CITS, SECTOR: IT-ITES

S.No.	Qualification Name	Proposed NSQF Level	Status of Approval
ix.	Information Technology-CITS	6	Approved

CTS, SECTOR: IT-ITES

S.No.	Qualification Name	Proposed NSQF Level	Status of Approval
x.	Data Entry Operator-CTS	4	Approved

STC, DGT SECTOR: BEAUTY & WELLNESS

S. No.	Qualification Name	Proposed NSQF level	Status of Approval
Xi	Professional Make-up Artist & Hair Stylist.	5	Approved
Xii	Senior Nail Technician	5	Conditionally Approved
Xiii	Senior Spa Technician	5	Conditionally Approved

STC FILES, DGT, SECTOR: OFFICE ADMINISTRATION & FACILITY MANAGEMENT

S.No.	Qualification Name	Proposed NSQF level	Status of Approval
i.	Human Resource Executive	4	Conditionally Approved

Annexure III (D): Qualification approved for SCPwD

I. Submitting Body: Skill Council For Persons With Disability, Sector: Multisectoral

S. No	Originating Sector	Job Role	QP Code	Mapped to	Status of Approval
1	Agriculture	Gardener	PWD/AGR/Q0801	Speech & Hearing Impairment	Approved
2		Gardener		Locomotor Disability	Approved
3		Gardener		Low Vision	Approved
4		Organic Grower	PWD/AGR/Q1201	Locomotor Disability	Approved
5		Organic Grower		Low Vision	Approved
6		Organic Grower		Speech & Hearing Impairment	Approved
7		Small poultry farmer	PWD/AGR/Q4306	Speech & Hearing Impairment	Approved
8		Small poultry		Locomotor Disability	Approved

		farmer		
9		Dairy Farmer/ Entrepreneur	PWD/AGR/Q4101	Low Vision
10		Dairy Farmer/ Entrepreneur		Speech &Hearing Impairment
11		Dairy Farmer/ Entrepreneur		Locomotor Disability
12	Apparel	Sewing Machine Operator	PWD/AMH/Q0301	Speech & Hearing Impairment
13		Sewing Machine Operator		Locomotor Disability
14	Apparel	Hand Embroiderer	PWD/AMH/Q1001	Speech &Hearing Impairment
15		Hand Embroiderer		Locomotor Disability
16		Packer	PWD/AMH/Q1407	Low Vision
17		Packer		Speech &Hearing Impairment
18		Packer		Locomotor Disability
19		Washing Machine Operator	PWD/AMH/Q1810	Speech &Hearing Impairment
20		Washing Machine Operator		Low Vision
21		In Line Checker	PWD/AMH/Q0102	Speech &Hearing Impairment
22		In Line Checker		Locomotor Disability
23		Pressman	PWD/AMH/Q0401	Speech &Hearing Impairment
24		Pressman		Low Vision
25		Self Employed Tailor	PWD/AMH/Q1947	Locomotor Disability
26		Self Employed Tailor		Speech &Hearing Impairment
27	IT- ITes	CRM Domestic Non- Voice	PWD/SSC/Q2211	Visual Impairment
28		CRM Domestic Non- Voice		Low Vision
29		CRM Domestic Non- Voice		Speech &Hearing Impairment
30		CRM Domestic Non- Voice		Locomotor Disability
31		CRM Domestic Voice	PWD/SSC/Q2210	Visual Impairment
32		CRM Domestic Voice		Low Vision
33		CRM Domestic Voice		Locomotor Disability
34		Domestic Data Entry Operator	PWD/SSC/Q2212	Low Vision
35		Domestic Data Entry Operator		Visual Impairment
36		Domestic Data Entry Operator		Speech &Hearing Impairment
37		Domestic Data Entry Operator		Locomotor Disability
38		Domestic IT	PWD/SSC/Q0110	Locomotor Disability

	Helpdesk Attendant			
39	WEB DEVELOPER	PWD/SSC/Q0503	Locomotor Disability	Approved
40	JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER	PWD/SSC/Q0508	Locomotor Disability	Approved
41	Domestic Biometric Data Operator	PWD/SSC/Q2213	Locomotor Disability	Approved
42	Retail	Trainee Associate	Low Vision	Approved
43			Speech &Hearing Impairment	Approved
44			Locomotor Disability	Approved
45		Retail Sales Associate	Speech &Hearing Impairment	Approved
46			Locomotor Disability	Approved
47	Telecom	Telecom-In store promoter	Low Vision	Approved
48			Locomotor Disability	Approved
49		Customer Care Executive – Call Centre	Visual Impairment	Approved
50			Low Vision	Approved
51			Locomotor Disability	Approved
52	Tourism & Hospitality	Food and Beverage Steward	PWD/THC/Q0301	Speech &Hearing Impairment
53		Housekeeping Attendant	PWD/THC/Q0203	Speech &Hearing Impairment
54		Room Attendant	PWD/THC/Q0202	Speech &Hearing Impairment
55		Room Attendant		Locomotor Disability

ANNEXURE – III (E): Qualification under NAPS

Submitting Body: Automotive SSC-NAPS, Sector: Automotive

S.No	Qualification Name	Proposed NSQF Level	Status of Approval
i.	Vehicle Manufacturing Operations	4	Approved